# संतकबीरनगर पुलिस

***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 28.06.2024*** ***जनपद – संतकबीरनगर***

***दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना बखिरा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम कमरुद्दीन पुत्र बहादुर निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री शम्भूराम, का0 दिपक कुमार।

***शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार***

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा*151/ 107 / 116 सीआरपीसी में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 6005 द्वारा दो पक्षों के मारपीट/विवाद में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल–***
पीआरवी 6005 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत रमवापुर से इवेन्ट संख्या 53370 से कालर द्वारा दो पक्षों में विवाद/मारपीट की सूचना पर (01. **रीता देवी पत्नी बशिष्ठ मुनी 02.रविना पत्नी संदीप कुमार निवासी रमवापुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल महिलाओं को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*** मु0आ0 कुंज बिहारी यादव, आ0 रामराज, मु0आ0चा0 राजनाथ यादव।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 130 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 28.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 130 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।